न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

---

149 / 2024

सीएमएस : 2024 / 336

1. सुमित कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति जाट साकिन 79 आर.बी.–बी. (भादवांवाला) तहसील रायसिंहनगरजिला श्रीगंगानगर राज.।
2. विकास भादू पुत्र श्री हेतराम जाति जाट साकिन 79 आर.बी.–बी. (भादवांवाला) तहसील रायसिंहनगरजिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–209 आरटीएक्ट व 125–136 एलआरएक्ट,</u>

तारीख रजू:– 24.10.2024

उपस्थितः 1. श्री अजय धारणियां अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

––निर्णय–– **दिनांक : 28.02.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक 79 आर.बी. बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 186 / 130 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 24 पं.नं. 217 / 276 के कि.नं. 4 में 0. 253 है. नहरी कि.नं. 5 / 1 में 0.228 हे. नहरी, कि.नं. 5 / 2 में 0.025 है. खाला 0.506 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 17 पं.नं. 224 / 276 के कि.नं. 4–7–14–17 प्रत्येक सालम–सालम 1.012 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 1.518 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि है इसी प्रकार वादी सं. 2 के नाम भी चक 79 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 185 / 130 में दर्ज अनुसार मु0नं. 24 पं.नं. 217 / 276 के कि.नं. 1–2 प्रत्येक सालम–सालम योग 0.506 है. नहरी, मुरब्बा नं. 17 पं.नं. 224 / 276 के कि.नं. 3–8–13–18 प्रत्येक सालम–सालम योग 1. 012 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 1.518 है. नहरी खातेदारी भूमि है। वादी संख्या 1 व 2 के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज में क्रमशः वादी सं. का नाम सुमितकुमार व वादी सं. 2 का विकास भादू नाम है वादी सं. 1 का नाम जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड वाके चक 79 आर.बी.बी. तहसील रायसिहनगर का खाता संख्या 186 / 130 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 24 व 17 की कुल 1.518 है. भूमि में सुमित पुत्र हेतराम के स्थान पर सुमितकुमार पुत्र हेतराम एवं इसी प्रकार वादी सं. 2 का नाम जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड वाके चक 79 आर.बी.बी. का खाता सं. 185 / 130 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 24 व 17 की कुल 1.518 है. भूमि में विकास के स्थान पर विकास भादू पुत्र हेतराम भादू दर्ज करवा पाने के विधिक अधिकारी है तथा दुरूस्ती करवा पाने के विधिक अधिकारी है। हम वादी द्वारा उक्त कदर राजस्व रिकार्ड में हम वादी का नाम सही व वास्तविक नाम दर्ज किये जाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार साहब राजस्व रायसिंहनगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिन्होने प्रथमतः टालमटोल के पश्चात दिनांक 22.10.2024 को इन्कार कर दिया व श्रीमान् जी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया बस यही तारीख बिनाऐ दावा एवं मुखास्मत दावा है। राजस्थान सरकार [illegible] है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत क[illegible] है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार [illegible] व डिक्री [illegible] जावे कि वाके चक 79 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर क[illegible] 186 / 13[illegible] अनुसार मुरब्बा नं. 24 व 17 की कुल 1.518 है. भूमि का [illegible] किया जाकर जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड वादी सं. 1 [illegible] के स्थान पर सुमितकुमार पुत्र हेतराम एवं इसी जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड वाके चक [illegible] आर.बी.बी. का खाता संख्या 185 / 130 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 24 व 17 की कुल 1.518 है. भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड मे वादी सं. 2 का नाम विकास पुत्र हेतराम के स्थान पर विकास भादू पुत्र हेतराम भादू दर्ज किये जाने बाबत दुरूस्ती आदेश पारित फरमावे जावे व डिक्री फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार
मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी सरकार की तरफ से
लदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 243 दिनांक 4.01.2025 से अवगत करवाया कि
बैक मौका जांच रिपोर्ट चक 79 आर.बी.बी. की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता
186 में मु.नं. 24 पं.नं. 217/276 कि.नं. 4, 5/1, 5/2 की 0.506 है. पं.नं. 224/276
14 के कि.नं. 4–7–14–17 की 1.012 है. कुल 1.518 है. नहरी मय खाला भूमि सुमित
हेतराम जाति जाट साकिन देह खातेदार रहन पी.एन.बी बैंक रायसिंहनगर के नाम दर्ज
है एवं खाता संख्या 185 में पं.नं. 217/276 मु.नं. 24 कि.नं. 1–2 की 0.506है., पं.नं.
/276 मु.नं. 17 कि.नं. 3–8–13–18 की 1.012 है. कुल 1.518 है. नहरी भूमि विकास
हेतराम जाति जाट सा. देह खाते रहन पी.एन.बी. रायसिंहनगर के नाम से दर्ज रिकार्ड है
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग
लैसेंस एवं पेन कार्ड में नाम सुमित कुमार पुत्र हेतराम एवं प्रार्थी विकास भादू द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस व पेनकार्ड में नाम विकास भादू पुत्र
राम भादू के नाम से है प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी के खाता संख्या 186
सुमित पुत्र हेतराम की जगह सुमितकुमार पुत्र हेतराम एवं जमाबंदी के खाता संख्या 185 में
कास पुत्र हेतराम की जगह विकास भादू पुत्र हेतराम भादू की शुद्दि किया जाना उचित है।
दी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वाके चक
आर.बी.बी की जमाबंदी के खाता संख्या 186 में सुमित पुत्र हेतराम व खाता संख्या 185 में
विकास पुत्र हेतराम लिखा गया है परन्तु वादीगण के अन्य समस्त दस्तावेज आधार कार्ड,
राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस एवं पेन काड में वादीगण का नाम
सुमितकुमार पुत्र हेतराम व विकास भादू पुत्र हेतराम भादू दर्ज है उक्त खाता संख्या में भी
सुमितकुमार पुत्र हेतराम व विकास भादू पुत्र हेतराम भादू किया जावे। उक्त खाता में उक्त
नामों की शुद्दि करने के लिए तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी मोका जांच उक्त खातों में
उक्त नामों की शुद्दि किया जाना उचित समझा है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न पहचान दस्तावेज, वाद
पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत
विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट की
अनुशषा व उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम
विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88–209 आरटीएक्ट एवं 136–125 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076–2079 खतौनी संख्या 186 नहरी खातेदारी भूमि में सुमित पुत्र श्री हेतराम के स्थान पर सुमितकुमार पुत्र श्री हेतराम व इसी चक के खाता संख्या 185 नहरी खातेदारी भूमि में विकास पुत्र श्री हेतराम के स्थान पर विकास भादू पुत्र श्री हेतराम भादू दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:[illegible] IST
Reason: SelfAttested

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

डिक्री व मुकदमेंइबादाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाबता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :– सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस.)

सं. 149 / 2024
सीएमएस : 2024 / 336

01. सुमित कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति जाट साकिन 79 आर.बी.–बी. (भादवांवाला) तहसील रायसिंहनगरजिला श्रीगंगानगर राज.।

02. विकास भादू पुत्र श्री हेतराम जाति जाट साकिन 79 आर.बी.–बी. (भादवांवाला) तहसील रायसिंहनगरजिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–209 आरटीएक्ट व 125–136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 28.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्र भादू अधिवक्ता वादीगण, जपैरोकार प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:–वाद वादीगण स्वीकार किया जाता हैं। तथा इस आश्य की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाती हैं कि– चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076–2079 खतौनी संख्या 186 नहरी खातेदारी भूमि में सुमित पुत्र श्री हेतराम के स्थान पर सुमितकुमार पुत्र श्री हेतराम व इसी चक के खाता संख्या 185 नहरी खातेदारी भूमि में विकास पुत्र श्री हेतराम के स्थान पर विकास भादू पुत्र श्री हेतराम भादू दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे।

डिक्री आज दिनांक 28.02.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:49:00 IST
Reason: SelfAttested